

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(गुप-5)विभाग

क्रमांक:प.16(46)साप्र/5/85 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 04-06-2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4.1.2003 एवं प.1(32)सा.प्र./गुप-5/2011 दिनांक 12.12.2011 के अधिक्रमण में राज्य के आई.ए.एस./आर.ए.एस. (प्रशिक्षु) को प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित अवधि तक नियमानुसार साधारण दर पर प्रवास की सुविधा उपलब्ध कराई जावे। इसके उपरान्त यदि आवास उपलब्ध है तो Co-sharing पर राजकीय आवास प्रावधानानुसार उपलब्ध कराया जावे। यदि आवासों की कमी के कारण आवास उपलब्ध कराना संभव नहीं हो तो इस तथ्य को अंकित करते हुए जिला कलक्टर की अनुशंसा पर विशेष परिस्थितियों में आई.ए.एस./आर.ए.एस. (प्रशिक्षु) को आवास उपलब्ध होने तक अन्यत्र प्रोबेशन की शेष अवधि तक विश्राम भवनों में साधारण दर पर आवास सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(रामपाल मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, (वीपी) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके आई.डी.एफ.13002410 दिनांक 7.5.2013 के क्रम में।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. अति०निजी सचिव, अति०मुख्य सचिव, सा०प्र०विभाग।
4. व०लेखाधिकारी, सा०प्र०(गुप-4)विभाग।
5. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

मु. शर्मा
(मुन्नालाल शर्मा) 4/6/2013

शासन सहायक सचिव